



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-04072026-274152
CG-KA-E-04072026-274152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3391]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3391]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिमी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3526(अ).— जबकि केंद्र सरकार की अधिसूचना एस.ओ. 961(ई) दिनांक 24 फरवरी 2026 द्वारा, (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई, रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) (जिसे यहाँ उक्त अधिनियम में उल्लिखित किया है) की धारा 2, खंड 20ए के अंतर्गत जारी की गई है, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को "के.एम.अधिग्रहित 164/200-300 मुलावद ग्राम, कोलहार तालुका, विजयपुरा जिला" में एलसी संख्या 72 के स्थान पर आर ओबी के निर्माण" के लिए, कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में करने का निर्णय लिया है।

और जबकि उपर्युक्त अधिसूचना का सार "द हिंदू" दिनांक 10.03.2026 और "प्रजावाणी" दिनांक 10.03.2026 में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ए के तहत प्रकाशित किया गया है। और जबकि सक्षम प्राधिकारी ने धारा 2, खंड 20डी के तहत दायर आपत्तियों को प्राप्त है, उन पर विचार और उनका उचित निपटारा किया है।

और जबकि, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अतः, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को उपरोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया जाना चाहिए;

और इसके अलावा, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2, खंड 20ई के अनुसरण में, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा घोषित करता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची निर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

अधिग्रहित की जाने वाली कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में किलोमीटर 164/200-300 किलोमीटर तक फैले भूभाग में स्थित, निर्माण सहित या बिना निर्माण भूमि का संक्षिप्त विवरण।

स्टेट: कर्नाटक			ज़िला: विजयपुरा		
तालुक: कोल्हार			ग्राम: मुलावद		
एस.एन.	सर्वेक्षण/प्लॉट नं.	भूमिका प्रकार	भूमिकी प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़-गुंटा)	भूमिस्वामी/हितधारक व्यक्तिकानाम
1	589/4	सूखा	सूखा	0A-21G	मुस्लिम समुदाय रोशनबी जी बंगलेसाब
2	609	सूखा	सूखा	0A-21G	अप्पन्ना टी शिवप्पा ऐहोली महेश टी यमनप्पा ऐहोली बाबू बसप्पा ऐहोली
3	610	सूखा	सूखा	0A-07G	शिवानंद टी गंगप्पा कलसागोंड कल्लव्वा के गंगप्पा कलसागोंड बौरम्मा गुरुपदप्पा कलसागोंड सदाशिव गुरुपदप्पा कलसागोंड मल्लिकार्जुन गुरुपदप्पा कलासगोंड संगमेश गुरुपदप्पा कलसागोंड यल्लव्वा गुरुपदप्पा कलसागोंड शिवानंद टी गंगप्पा कलसागोंड सुरेश टी गंगप्पा कलसागोंड गौरवा यी जीरामप्पा गौदर ललिता जी अशोक कुमार महादेवी सिद्धम कलसागड W/o सिद्रम सचिन सिद्रामप्पा कलसागोंड पुत्र: सिद्धमप्पा कल्लव्वा कलसागोंड पति का नाम: गंगप्पा
4	613/2	सूखा	सूखा	0A-04G	मैहिवूब साहेब बाला साहेब बालाहवलदार
5	613/3	सूखा	सूखा	0A-09G	बालाहवलदार रशीद अहमद माही अनीस अहमद टी सय्यद साब कोल्हार

6	613/6	सूखा	सूखा	0A-05G	नूर अहमद बालासाहेब बालाहवलदार
7	619	सूखा	सूखा	0A-09G	हट्टी महादेवप्पा संगप्पा आदिवेप्पा टी शिवप्पा बिलागी बसप्पा
8	620	सूखा	सूखा	0A-10G	अमिनसाब सैय्यदासाब मनागुली

[फा. सं. डब्ल्यू.271/नि/बें छा/2026-27/भूमि वि रे प/1727]
प्रदीप पुरी, मुख्य इंजीनियर-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 1st July, 2026

S.O. 3526(E).— Whereas by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) S.O. 961(E) dated 24 Feb 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section – 3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for “Construction of ROB in lieu of LC No. 72 at Km: 164/200-300 Mulavad village, Kolhar taluk, Vijayapura district” in the district of Vijayapura in the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in “THE HINDU” dated 10.03.2026, and in “PRAJAVANI” dated 10.03.2026; under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the competent authority has submitted its report to the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act, 1989, the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from 164/200-300. In the district of Vijayapura in the state of Karnataka.

State: Karnataka			District: Vijayapura		
Taluk: Kolhar			Village: Mulavad		
SN	Survey / Plot No.	Type of land	Nature of land	Area (Acre-Gunta)	Name of the Land Owner / Interested Person
1	589/4	Dry	Dry	0A-21G	Muslim community Roshanbi G Banglesaab
2	609	Dry	Dry	0A-21G	Appanna T ShivappaAiholli Mahesh T YamanappaAiholli BabuBasappa Aiholli
3	610	Dry	Dry	0A-07G	Shivanand T Gangappa Kalasagond Kallavva K Gangappa Kalasagond Bouramma Gurupadappa Kalasagond Sadashiv Gurupadappa Kalasagond Mallikarjun Gurupadappa Kalasagond Sangamesh Gurupadappa Kalasagond Yallavva Gurupadappa Kalasagond Shivanand T Gangappa Kalasagond Suresh T Gangappa Kalasagond Gourubayi G Ramappa Goudar Lalita G Ashok Kumar Mahadevi Sidram Kalasagond W/o.Sidram Sachin Sidramappa Kalasagond S/o. Sidramappa Kallavva Kalasagond Husband Name: Gangappa
4	613/2	Dry	Dry	0A-04G	Maihiboobsaheb Balasaheb Balahawaldar
5	613/3	Dry	Dry	0A-09G	Balahawaldar Rashid Ahmed Mahi Anis Ahmed T Sayyadasab Kolhar
6	613/6	Dry	Dry	0A-05G	Noorahmed Balasaheb Balahawaldar
7	619	Dry	Dry	0A-09G	Hatti Mahadevappa Sangappa Adivappa T Shivappa Bilagi Basappa
8	620	Dry	Dry	0A-10G	Aminsaab Sayyadasab Managuli

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]
PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction